

## समझें और समझाएँ

पटाखों में तांबे, कैडमियम, सल्फर, एल्यूमीनियम, बेरियम जैसे खतरनाक तत्व होते हैं जो हवा में धुलकर उसको जहरीली बना देते हैं, पटाखों को जलाने से निकलने वाले धुएँ से हमारे शरीर में निम्नलिखित दुष्प्रभाव होते हैं।

अल्युमिनियम	- संपर्क से त्वचा रोग, बायोक्वमुलेशन (जैविक रूप में जमा होना)
सल्फर डाइऑक्साइड	- सल्फ्यूरिक एसिड से होने वाले एसिड रेन का जल संसाधनों, वनस्पतियों पर बुरा असर के साथ संपत्ति का भी नुकसान होता है।
पोटेशियम नाइट्रेट	- जहरीली धूल, सल्फर-कोल कम्पाउंड जिससे कैंसर हो सकता है।
परक्लोरेट-अमोनियम एवं पोटेशियम बेरियम नाइट्रेट	- जमीन के नीचे और ऊपर के पानी को प्रदूषित कर सकता है। मनुष्यों और जंतुओं में थायरॉइड की समस्या पैदा कर सकता है।
कॉपर कम्पाउंड	- जहरीला, इसका धुंआ सांस नली में बेचैनी पैदा कर सकता है। रेडियोएक्टिव दुर्घटना की भी संभावना है।
एंटीमनी सल्फाइड	- पॉलीक्लोनिरेटेड डायऑक्सीन और आई-बेंजोफुरान्स। जैविक रूप में जमा हो सकता है। कैंसर का खतरा पैदा कर सकता है।
लेड डायऑक्साइड/ नाइट्रेट/क्लोराईड	- जहरीला धुंआ, कैंसर कारक है।
लीथियम कम्पाउंड	- जैविक रूप में जमा हो सकता है। नाइट्रेट/क्लोराइड पेट में पल रहे बच्चों के विकास के लिए खतरनाक हो सकता है कई दिनों तक हवा में मौजूद रह सकता है, पौधों और जंतुओं के लिए जहरीला।
मर्करी (मर्क्यूरस क्लोराइड)	- जलने पर जहरीला और बेचैन करने वाला धुंआ निकलता है।
नाइट्रिक ऑक्साइड	- जहरीला हेवी मेटल। जैविक रूप में जमा हो सकता है।
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड	- सांस के साथ अंदर लेने पर जहरीला। फ्री रेडिकल है।
ओजोन	- सांस के साथ अंदर जाने पर बहुत जहरीला है।
आर्सेनिक कम्पाउंड	- ग्रीनहाउस गैस जो फेफड़ों पर वार करता है और उन्हें बेचैन करता है।
स्ट्रोशियम कम्पाउंड	- जहरीले राख से फेफड़ों के कैंसर, त्वचा में जलन और मस्सा बनने का खतरा है।
	- शरीर में कैल्शियम की जगह छिन सकता है। स्ट्रोशियम क्लोराईड थोड़ा विषैला भी है।

## पटाखों से होने वाले ध्वनि प्रदूषण से

- ❖ सुनने की शक्ति में क्षीणता
- ❖ उच्च रक्त चाप
- ❖ हृदय रोग
- ❖ निम्ना अवरोधन इत्यादि

# प्रदूषण मुक्त

## दिवाली

### हर जगह खुशहाली



**सुन्दर सुरक्षित हमारी धरती,  
इसकी हालत हमने क्या कर दी।  
इस दिवाली पटाखे न जलायें,  
धरती को पुनः हरित बनायें।**

माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिल्ली और एन.सी.आर. के लिए पटाखों/आतिशबाजी के उपयोग के संबंध में निम्नलिखित निर्देश दिए हैं:

- दिवाली के दौरान कम उत्सर्जन पटाखे का उपयोग करें:
  - बेहतर पटाखे (Improved crackers) :
    - (क) 15-20% तक कण पदार्थ (PM) में कमी के लिए पटाखे में शोषक या भरने वाली सामग्री के रूप में राख के उपयोग से बचें।
    - (ख) विस्फोटक और पायरोटेक्निक के चारकोल मिश्रण विनिर्देशों का उपयोग।
  - ग्रीन पटाखे (Green crackers) :
    - सुरक्षित पानी और वायु छिड़काव (SWAS)- कम उत्सर्जन, ध्वनि और प्रकाश उत्सर्जक वाले पटाखे जिनमें स्वतः धूल कम करने के लिए पानी उत्पन्न होता है तथा कम कीमत वाले Oxidants के इस्तेमाल के कारण कम कीमत वाले होते हैं जिसके कारण 30-35% तक कण पदार्थ (PM) तथा NO<sub>x</sub> और SO<sub>2</sub> की पर्याप्त मात्रा में कर्ण होती है।
- पटाखों में बेरियम नामक लवण (salts) पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।
- विवाह और अन्य अवसरों के लिए भी, बेहतर पटाखे और ग्रीन पटाखे की बिक्री की अनुमति है।
- पहले ही निर्मित पटाखों जिनकी स्वीकृत नहीं हैं उन्हें दिल्ली और एनसीआर में बेचे जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- जुड़े हुए पटाखों (लड़ी) का निर्माण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है।
- स्वीकृत पटाखे केवल दिल्ली पुलिस द्वारा अधिकृत व्यापारियों के माध्यम से ही बेचे जाएंगे।

### आतिशबाजी की समय अनुमति

आयोजन	समय
दिवाली अथवा किसी अन्य त्यौहार जैसे की गुरुपर्व इत्यादि	रात्रि 8:00 से 10:00 बजे तक
क्रिसमस और नव वर्ष	रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक

- केवल निर्दिष्ट क्षेत्र एवं मैदान पर सामुदायिक पटाखे जलाने का प्रयास करें।
- ई-कॉमर्स वेबसाइट जैसे की एमोजोन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से पटाखों की बिक्री की अनुमति नहीं है।
- विनिर्माण एवं व्यापारी जो प्रतिबंधित पटाखों का निर्माण व बिक्री कर रहे हैं उनका लाइसेंस निलंबित किया जाएगा।

उल्लंघन के खिलाफ क्षेत्र के संबंधित पुलिस स्टेशन के स्टेशन हाउस ऑफिसर (एसएचओ) कार्रवाई करेंगे।